Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

संख्या 106/एसटी–2.–हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(3क) उपनियम (1), (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनन्तिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से मार्च, 2018 के 31वें दिन को या उससे पूर्व प्ररुप जीएसटी सीएमपी–02 मे संसूचना दायर करता है, के ठीक बाद के मास के प्रथम दिन से कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररुप जीएसटी आईटीसी–03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगाः

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररुप जीएसटी आईटीसी–03 में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररुप जीएसटी टीआरएएन–01 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 46 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''46क. प्रदाय का बीजक–सह–बिल– नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ–साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनो की प्रदाय करता है, तो वह ऐसी प्रदायों के लिए, एकल ''प्रदाय का बीजक–सह–बिल'' जारी कर सकता है।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 54 में, उपनियम (2) में,''कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो'' शब्दों के स्थान पर, ''मास के अंत पर मास के दौरान की गई सेवाओं की प्रदाय के लिए समेकित कर बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उपनियम (1) में,–

(i) अंत में, विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) बाद में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु कोई रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति, जो उस मास के प्रथम दिन से, जो तिमाही का प्रथम मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, प्ररुप जीएसटीआर–4 में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का भुगतान किया है, विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर भुगतान के विकल्प का चुनाव करते हुए पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा।'';।

6. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटी सीएमपी–2 में, ''[नियम 3 (2)देखें]'' कोष्ठकों, शब्दों तथा अंको के स्थान पर, ''[देखिए नियम 3(3) तथा 3(3क)]'' कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटीआर–1 में, सारणी 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''6. शून्य दर प्रदाय और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	संख्या	तिथि	मूल्य	संख्या	तिथि	दर	कराधेय मूल्य	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई प्रदाय									
6ग. माना गया निर्यात									
									''।

8. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटीआर–1क में, सारणी 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''4 एसईजेड को की गई शून्य दर प्रदाय और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	संख्या	तिथि	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई प्रदाय							
4ख. माना गया निर्यात							
							''।

9. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटी आर–4 में, अनुदेश संख्या 9 के पश्चात्, अन्त में, निम्नलिखित अनुदेश जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम संख्या 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी।''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 106/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3A)Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31st day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnsihed.";

3. In the said rules, after rule 46, the following rule shall be inserted, namely:-

"**46A. Invoice-cum-bill of supply.-** Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, he may issue a single "invoice-cum-bill of supply" for all such supplies.";

4. In the said rules, in rule 54, in sub-rule (2),

(a) for the words "tax invoice" the words "consolidated tax invoice" shall be substituted;

(b) after the words "by whatever name called", the words "for the supply of services made during a month at the end of the month" shall be inserted;

5. In the said rules, in rule 62, in sub-rule (1),

(i) for the sign "."existing at the end, the sign ":"shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in **FORM GSTR-4** for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.";

6. In the said rules, in **FORM GST CMP-02**, for the words, figures and brackets "See rule 3(2)", the words, figures, brackets and letter "See rule 3(3) and 3(3A)" shall be substituted;

7. In the said rules, in **FORM GSTR-1**, for Table 6, the following shall be substituted, namely:-

"**6. Zero rated supplies and Deemed Exports**

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6A. Exports									
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer									
6C. Deemed exports									
									";;

8. In the said rules, in **FORM GSTR-1A**, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-

"4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer							
4B. Deemed exports							
							";"

9. In the said rules, in **FORM GSTR-4,** after instruction no.9, the following instruction shall be added, namely:-

"10. For the tax period July, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished."

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55690—C.S.—H.G.P., Chd.